न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– मुन्नीराजा वेवा लक्ष्मनसिंह ठाकुर ,

2– नारायण सिंह तनय लक्ष्मनसिंह ठाकुर ,

3– अरबिंद सिंह तनय लक्ष्मनसिंह ठाकुर ,

निबासी ग्राम करोला, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

रचना पुत्री तनय लक्ष्मनसिंह ठाकुर ,

निबासी चितरई, तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0 प्र0

..... अनावेदिका

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 18/अपील/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20/04/2016 से परिवेदित होकर रक रहे हैं जो समय सीमा में है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, उभयपक्षों के पिता लक्ष्मनसिंह ठाकुर, के नाम से ग्राम करौला में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थीं, उपरोक्त भूमि का नामांतरण, नामांतरण पंजी कमांक 35 दिनांकित 03/07/2004 पर पारित आदेश दिनांक 05/08/2004 के आधार पर अपीलांट के नाम पर किया लक्षमन सिंह के फौत होने के कारण किया गया था। तभी से बे उपरोक्त वाद भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। अनावेदिका को उसके दान- दहेज में उसके हिस्सा बराबर धनादि दहेज में दे दिया गया था । जिस पंजी से परिवेदित होकर रिस्पॉ0 द्वारा करीब 12 साल बाद एक अपील अनुविभागीय अधिकारी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1377 /II/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **मुन्नीराजा व अन्य वनाम रचना**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-5-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 18/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2016 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगीरानी के साथ ग्राम करौला की नामांतरण पंजी कमांक 35 दिनांक 03/07/2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति तथा लक्षमनसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये, प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन किया । आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है, जो उनके द्वारा निगरानी मीमों में लेख किये गये हैं। 2– यह कि ग्राम करौला में लक्ष्मण सिंह तनय रामसिंह के नाम से खसरा नंबर 16/1/2, 145/2, 215/1, 540/4, 571/1 एवं 571/4 में कुल 2.360 हैक्टेयर भूमि, भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। लक्षमण सिंह की मृत्यु दिनांक 27/05/2004 को हो चुकी है। उपरोक्त भूमि का नामांतरण, नामांतरण पंजी कमांक 35 दिनांकित 03/07/2004 पर पारित आदेश दिनांक 05/08/2004 के आधार पर आवेदकगण के नाम पर किया गया। उपरोक्त पंजी कमांक 35 से परिवेदित होकर अनावेदिका द्वारा करीब 12 साल बाद एक अपील अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 05/08/2004 निरस्त करके वादभूमि पर सहखातेदार के रूप में अनावेदिका का नाम भी दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। आदेश का अवलोकन किया गया, अधिनस्थ न्यायालय में अनावेदिका द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 05/08/2004 से करीब 12 साल उपरांत अपील प्रस्तुत की गई है, उपरोक्त अपील के साथ जो धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था, उसका अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निराकरण किये बगैर ही अंतिम आदेश पारित किया गया है, जबकि बिलंब के बिन्दु पर उन्हें उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त	

अवसर प्रदान करतें हुये बोलता हुआ आदेश पारित करना था। इसी प्रकार की ब्यवस्था 2008 एमपीजेआर 366 एवं अन्य अनेक न्याय दृष्टांतों में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। बी नागराज वनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, ए. अई आर 1979 कर्नाटक 67 एवं रामकली देबी वनाम मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक 1998(9)सु0 को0 के0 558, सु0 को0 में भी इसी प्रकार की ब्यवस्था दी गई है।

3— यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता धारा 164, सहपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (यथा संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005)की धारा 08 की अनुसूची वहु वर्ग—1 अंतर्गत मृतक की पुत्री होने से वैधानिक उत्तराधिकारी माना है। जबकि उपरोक्त संशोधन 09/09/2005 को आया है। भूमि स्वामी लक्षण सिंह 27/05/2004 को फौत हो चुका है। उसकी मृत्यु के उपरांत 05/08/2004 को नामांतरण भी हो चुका है। उपरोक्त संशोधन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामांतरण करने का आदेश पारित किया है, वह विधि विरूद्व है क्योंकि उपरोक्त संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। सिविल अपील कमांक 7217/2013 प्रकाश वनाम फूलवती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यही माना गया है, कि उपरोक्त संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार करके अनुविभागीय अधिकरी द्वारा प्र0 क0 18/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2016 निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है , कि वादभूमि पर पूर्ववत आवेदकगण के नाम दर्ज रखे जावें। जहां तक स्वत्व का प्रश्न है उभयपक्ष सक्षम सिविल न्यायालय के अपने स्वत्व का निराकरण कराने के लिये स्वतंत्र हैं। प्रकरण का परिणम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य